न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 30/2014

प्रार्थी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा
एंव स्वास्थ्य
अधिकारी,बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र जेठानन्द जाति सिन्धी निवासी कल्याण पुरा मार्ग नं 02 जिला बाड़मेर (सेल्समैन) मार्फत बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि0 महावीर नगर बाड़मेर
2. श्री अर्जुनसिंह पुत्र भागीरथसिंह निवासी मकान नंबर 267, ऑफिसर कॉलोनी, वार्ड नं. 30 जिला बाड़मेर (लाईसेन्सधारी एवं मैनेजर) हाल महाप्रबन्धक बाड़मेर क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि0 चौहटन रोड़, बाड़मेर
3. मैसर्स बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि0 महावीर नगर बाड़मेर
4. पुष्पचन्द डोसी पुत्र केवल चन्द डोसी, 295 बी.2 लक्ष्मी नगर पावटा, जोधपुर (फर्म एसएसबी प्रोडक्ट, जोधपुर का मालिक)
5. मैसर्स एसएसबी प्रोडक्ट, सराफा बाजार के पास, मिरची बाजार, जोधपुर (मार्फत पुष्प चन्द डोसी)
6. श्रीमती मीनाक्षी कुमावत, चौधरी कॉलोनी, भैरू चौक, सुमेरपुर जिला पाली (फर्म भागीदार)
7. श्रीमती मीनाक्षी कुमावत, चौधरी कॉलोनी, भैरू चौक, सुमेरपुर जिला पाली (फर्म भागीदार)
8. मैसर्स सी.एम. फूड प्लॉट नंबर 9 रीको औद्योगिकी एरिया अंगोर, सुमेरपुर जिला पाली (मार्फत मीनाक्षी एवं कमलेश कुमावत)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उपस्थितः—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जसवन्त बोहरा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 3 की ओर से।
3. श्री मलार खॉ अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 6 से 8 की ओर से।
4 अप्रार्थी संख्या 2, 4 व 5 एक तरफा।

निर्णय दिनांक 31.5.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.2.2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा दौराने गश्त चैकिंग मैसर्स बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. बाड़मेर दोपहर 1.00 बजे पहुँचने पर दुकान पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम ओमप्रकाश पुत्र जेठानन्द जाति सिन्धी निवासी कल्याण पुरा मार्ग नं. 2 बाड़मेर (सेल्समेन) बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य खाध सामग्री के साथ–साथ अचार मिक्स ब्राण्ड छगन–मगन (400ग्राम) के 20 डिब्बे पाये गये। जिसमें मिलावट का संदेह होने पर रूपये 304/–नकद देकर 400–400 ग्राम के कुल 04 डिब्बे खरीदे। खरीद गये 4 डिब्बो पर नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर लेबल चिपकाये गये। जिस पर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर कराये गये। प्रत्येक नमूने को मौटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप पी.238 चिपकाकर मजबूत व मोटे धागे से बांधकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहो के पेपर स्लीप को कॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक का पता अंकित किया गया। गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपथिति में मौका फर्द तैयार की गयी। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.238 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटडोर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ अचार मिक्स ब्राण्ड छगन–मगन का नमूना पी.238 की

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जॉच रिपोर्ट एलएस/25/एक्ट/2013/30 दिनांक 26.2.2013 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ अचार मिक्स ब्राण्ड छगन–मगन (400ग्राम) का नमूना मिसब्राण्ड (Misbranded) स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ अचार मिक्स ब्राण्ड छगन–मगन (400ग्राम) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्य क्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी. 238 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थी सख्या 1, 3, 6 से 8 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व कोर्ट केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई। अप्रार्थी सख्या 1, 3, 6 से 8 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 2, 4 व 5 बावजूद नोटिस तामिल हाजिर नहीं आने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

3. हमने प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर की बहस सुनी। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 19.02.2013 को दौराने गश्त मैसर्स बाड़मेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि0 बाड़मेर का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा सामग्री के साथ अचार मिक्स ब्राण्ड छगन–मगन 400–400 ग्राम के 20 डिब्बों में पाया गया । उक्त अचार मिक्स ब्राण्ड छगन–मगन (400 ग्राम) में मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार नमूना लिया गया। जॉच के दौरान अचार मिक्स ब्राण्ड छगन–मगन (400 ग्राम) का नमूना पी.238 मिसब्रान्ड (Misbranded) स्तर का पाया, जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

4. हमने सहायक लोक अभियोजक प्रथम की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/25/एक्ट/2013/30 दिनांक 26.2.2013 के अनुसार अप्रार्थीगण अभियुक्त द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ अचार मिक्स ब्राण्ड छगन–मगन (400 ग्राम) का सेंपल पी. 238 जॉच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड (Misbranded) का होना पाया गया है जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अभियुक्त ओमप्रकाश, अर्जुनसिंह, मै. सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. बाड़मेर, पुष्पचन्द डोसी, मै. एसएसबी प्रोडेक्ट, श्रीमती मीनाक्षी कुमावत एवं मै. सी.एम.फूड द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)के तहत पाये गये मिसब्राण्ड (Misbranded) पदार्थ बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिसब्राण्ड (Misbranded) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 3(1)(z f)(c)(1) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत अभियुक्त अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रत्येक पर रूपये दो–दो हजार मात्र, अप्रार्थी संख्या 04 व 05 प्रत्येक पर पांच हजार मात्र, अप्रार्थी संख्या 06 पर दस हजार रूपये मात्र एवं अप्रार्थी संख्या 08 पर पच्चीस हजार रूपये मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 31.5.2017 के एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर